न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
परिवाद संख्या 18/2014

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

.........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नि श्री जय कुमार मूलचन्दानी, 350 खारी कुई, अजमेर
2. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामप्रसाद, मैसर्स – बन्टी मेडिकल ऐजन्सीज, पंकज मार्केट, अजमेर ।
3. श्री आर के अग्रवाल (नोमिनी पर्सन) न्यूट्रीशिया इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड एफ – 959 रोड नम्बर 13, वी के आई एरिया जयपुर – 302021

.......*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : श्री सतीश सोलंकी, वकील अप्रार्थीगण की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–16.03.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने सबस्टेण्डर्ड न्युट्रिशिया इन्फेंट मिल्क (डेक्सोलेक) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.06.2013 को 1.15 पी0एम0 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स– बन्टी मेडिकल ऐजन्सीज, पंकज मार्केट, अजमेर पर पहूँचे, श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामप्रसाद मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान विक्रय हेतु न्युट्रिशिया इन्फेंट मिल्क (डेक्सोलेक) इत्यादि के 10 पैकेट रखे हुए थे। न्युट्रिशिया इन्फेंट मिल्क

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

(डेक्सोलेक) में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु न्युट्रिशिया इन्फेंट मिल्क (डेक्सोलेक) के 500–500 ग्राम की चार पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु 935/– रूपयें श्री राजेश कुमार को नगद देकर गवाह श्री अजय मोयल के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री राजेश कुमार को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा न्युट्रिशिया इन्फेंट मिल्क (डेक्सोलेक) को प्रत्येक पैकेट में 500–500 ग्राम न्युट्रिशिया इन्फेंट मिल्क (डेक्सोलेक) के प्रत्येक पैकेट को भूरे कागज में लपेट कर कागज को दोने ओर गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए–526 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2013/6570 दिनांक 17.07.2013 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/353/एफएसएसए/2013/354 दिंनांक 05.07.2013 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया न्युट्रिशिया इन्फेंट मिल्क (डेक्सोलेक) सबस्टेण्डर्ड होनी पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 12.02.2014 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 12.02.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री राजेश कुमार व अन्य को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 31.03.2014 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी पर अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस एवं लिखित बहस प्रस्तुत करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश त्रिपाठी के बयान भी दर्ज करवाये जाकर वकील अप्रार्थीगण द्वारा उनसे जिरह की गई। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस हेतु निश्चित दिन प्रार्थी की ओर से उनके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने पर वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 66 के अन्तर्गत कम्पनी को पक्षकार मुर्तिब नहीं किया गया है। धारा 66 में प्रावधान किया गया है कि " जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कम्पनी के द्वारा किया जाता है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि अपराध के कारित होने के समय कम्पनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और साथ ही साथ कम्पनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और दण्डित किया जायेगा।" इस प्रकार उपरोक्त धारा के और नियम 2.5 के अनुसार जब कम्पनी के द्वारा एक अपराध कारित किया जाता है तो कम्पनी और नामित व्यक्ति या नामित व्यक्ति की अनुपस्थिती में वह व्यक्ति जो कि कम्पनी का प्रभारी और दिन प्रतिदिन

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

के व्यवहार के लिए जिम्मेदार है, के विरूद्ध मुकदमा चलाये जाने के लिए जिम्मेदार होगा। इस प्रकार यह आवश्यक है कि जहां कम्पनी द्वारा अपराध कारित किया जाता है वहां कम्पनी के प्रभारी के साथ ही उक्त कम्पनी के विरूद्ध भी मुकदमा चलाया जावेगा। वकील अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में हमारा ध्यान S.C.C. 661 (2012) एवं माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आलोक मल्होत्रा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य में प्रतिपादित न्यायिक न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि अभिहित अधिकारी द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृति अस्पष्ट है क्यों कि यह सहमति एक यांत्रिक ढंग से बिना अपनी मानसिक शक्ति का सही इस्तेमाल के प्रदान की गई है। उक्त अभियोजन स्वीकृति प्रतिवादी संख्या 2 पर अभियोजन की मंजूरी बिना संबंधित कम्पनी को अभियोजित करते हुए दी गई थी, इस आधार पर परिवाद निरस्त योग्य है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि खाद्य विश्लेषक की विश्लेषण रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को प्रदान नहीं की गई जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 का नियम 3.1.1 उस व्यक्ति को खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्व अभिहीत–अधिकारी के समक्ष अपील प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है जिससे नमूने प्राप्त किये गये हों या वह व्यक्ति जिसका नाम पता और अन्य विवरण नियम 2.5 के तहत बताये गये हो या थोक व्यापारी अथवा निर्माता। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को नहीं भेजने के कारण कम्पनी मैसर्स न्यूट्रिशिया इन्टरनेशनल प्रा0लि0 जिसकी जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को होने के बावजूद पुनः विश्लेषण करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 46 (4) के तहत अपील करने के अधिकार का हनन हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने बयानों में स्वंय इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कोई भी नोटिस अधिनियम की धारा 46 (4) के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को नहीं भेजा गया। वादी द्वारा उक्त प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के मूल्वान अधिकारों के हनन होने के साथ ही साथ प्राकृतिक जांच के सिद्वान्तों के विपरीत है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान 1990 W.L.N. (v.c.) 74, 2010 (1) WLN 270 (राज), 1990 WLN (U.C.) 74 (राज.) रामचरण बनाम राजस्थान सरकार व अन्य, 2012 (5) GLT 254 (Grants) चन्दन पॉल बनाम असम सरकार, 1985 (2) FSC 220 (Gujarat) मानसिंह हज्जूराम यादव व अन्य बनाम गुजरात सरकार व 1948–1997 (2) SCFACI (sc) रामेश्वर दयाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि यद्यपि उक्त सिद्वान्त खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के है तथापि सिद्वान्ततः उक्त दृष्टांत मौजूदा कानून पैरा मटेरिया है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 66 कम्पनी के द्वारा कारित अपराध से निपटने के लिए है जो कि N.I. Act की धारा 141 और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 34 के साथ पैरा मटेरिया है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवद्यारित किया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 66 कम्पनी के द्वारा कारित अपराध से निपटने के लिए है जो कि N.I. Act की धारा 141 और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 34 के साथ पैरा मटेरिया है। वकील अप्रार्थीगण ने यह भी कथन किया कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट मानने योग्य नहीं है उक्त रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और विनियम के अनुरूप नहीं है। खाद्य विश्लेषक परिक्षण की विधि बताने में विफल रहा है जो कि बुनियादी अनिवार्य प्रारूप के

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

विपरीत है, स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने बयानों में इस तथ्य को स्वीकार किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह सिद्वान्त स्थापित किया है कि जहां विश्लेषक के द्वारा विश्लेषण के दौरान अपनाई जाने वाली विधि का खुलासा नहीं किया है उस स्थिती में विश्लेषक की रिपोर्ट पर कोई भी निर्भरता पेश नहीं की जा सकती तथा अभियुक्त रिहा होने के हकदार है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा न्यूट्रिशिया इन्फेन्ट इन्टरनेशनल प्रा0लि0 जयपुर से जरिये बिल दिनांक 28.05.2013 द्वारा क्रय किया गया था उक्त सेम्पल को कोमोडिटी अप्रार्थी संख्या 2 से कम्पनी की सील्ड पैकेट में ली गई थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने बयानों में स्वयं स्वीकार किया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 24(2) के अन्तर्गत ''गारन्टी'' के द्वारा संरक्षित है। उक्त धारा का परन्तुक अनुभाग कहता है कि खाद्य की किसी भी वस्तु की बिक्री के संबंध में खाद्य व्यापार प्रचालक द्वारा विक्रेता को जारी किया गया बिल, कैश मामो या चालान इस धारा के तहत गारन्टी समझा जावेगा, भले ही निर्दिष्ट प्रपत्र में गारन्टी, बिल, कैश मीमों या चालान में शामिल न हो और इसलिए विक्रेतागया/प्रतिवादीगण ''गारन्टी'' का लाभ पाने के हकदार है। वकील अप्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा न्यूट्रिशिया इन्फेन्ट मिल्क (डेक्सोलेक) उसी अवस्था में विक्रय किया गया था जिस अवस्था में उन्होंने क्रय किया था तथा उक्त नमूना पदार्थ के साथ किसी भी प्रकार से छेडछाड नहीं की गई थी। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80(B)(A)(D) के तहत शिकायत से मुक्त होने के अधिकारी है। उन्होंने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी ने उसी बैच नम्बर तथा उसी उत्पाद के एक नमूने का AVON FOOD LAB (PVT.) LTD. (NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला) नई दिल्ली से विश्लेषण करवाया तथा पाया कि ''उक्त उत्पाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा कोई भी स्वतंत्र साक्षी को नमूना लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है तथा मनमाने व अवैध तरीके से खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त नमने की कार्यवाही में गवाह बनाया गया है जो कि अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के विरूद्व नहीं बनता है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार नहीं है अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स बंटी मेडिकल एजेन्सीज पंकज मार्केट पडाव अजमेर से न्यूट्रिशिया इन्फेन्ट मिल्क (डेक्सोलेक) वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया था तथा खाद्य विश्लेषक खाद्य मानक प्रयोगशाला अजमेर से जांच करवाये जाने पर उक्त न्यूट्रिशिया इन्फेन्ट मिल्क (डेक्सोलेक) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। C.M.H.O. आफिस द्वारा जांच रिपोर्ट की प्रति अप्रार्थी फर्म को नियम 2.4.2(6) के तहत भिजवाते हुए सूचित किया कि यदि आप उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो उक्त नमूने की पुनः जांच हेतु पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर आवेदन करे, किन्तू निश्चित अवधि में अप्रार्थी फर्म द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई, इससे स्पष्ट है कि तत्समय अप्रार्थी फर्म उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट थे। जहां तक निर्माता कम्पनी/फर्म को पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न है यदि किसी कम्पनी द्वारा किसी फर्म के लिए किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्त किया गया है तो

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

वह व्यक्ति विशेष ही उस अपराध के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय किया गया न्यूट्रिशिया इन्फेन्ट मिल्क (डेक्सोलेक) जांच में सबस्टेण्डर्ड पाया गया है जो खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अर्न्तगत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर रूपये 5000/– (अक्षरे रूपये पाच हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 16.03.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16.03.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2016/1586-89 दिनांक : 12.4.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
3– श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नि श्री जय कुमार मूलचन्दानी, 350 खारी कुई, अजमेर
4– श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामप्रसाद, मैसर्स – बन्टी मेडिकल ऐजन्सीज, पंकज मार्केट, अजमेर ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner